



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 13

पटना, बुधवार,

11 चैत्र 1948 (श0)

1 अप्रील 2026(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-02
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	03-03
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4-बिहार अधिनियम	---
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	04-05
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
24 मार्च 2026

सं० 7/सी०सी०ए०-10-04/2024 गृ०आ०-3958—बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 12/2024) के अध्याय-2 की धारा-12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा-12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने-अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या-11714 दिनांक-10.09.2025 के क्रम में अगले छः महीनों के लिए अर्थात् दिनांक 25.03.2026 से 24.09.2026 (पच्चीस मार्च दो हजार छब्बीस से चौबीस सितम्बर दो हजार छब्बीस) तक प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अमलेन्दु कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 2—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

लघु जल संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र

9 मार्च 2026

सं० प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-02/2024-1630--विभागीय अधिसूचना सं०-1501 दिनांक-27.02.2026 द्वारा श्री आलोक प्रसाद, कार्यपालक अभियन्ता(असैनिक) सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता(असैनिक, कार्यकारी प्रभार) को “बिहार राज्य कर्मचारी सेवा-शर्त(रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली,2025” में निहित प्रावधानों के तहत द्वितीय एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. उक्त अधिसूचना की कंडिका-1 में अंकित श्री आलोक प्रसाद को स्वीकृत द्वितीय एम०ए०सी०पी० “वेतन स्तर-11” के स्थान पर “वेतन स्तर-12” पढ़ा जाय ।

3. उपरोक्त वर्णित अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संगीता सिंह, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 2—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 327—मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन खान (Mohammad Serajuddin Khan) पिता—अब्दुल हाफिज खान, निवासी मोहल्ला—भौसासुर, पोस्ट—बिहारशरीफ, थाना—लहेरी, जिला—नालन्दा—803101, बिहार शपथ पत्र सं०—1034, दिनांक—16.02.2026 द्वारा यह सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक कागजात एवं आधार कार्ड में मेरा नाम सिराजुद्दीन खान (Serajuddin Khan) है, आधार कार्ड में मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन खान (Mohammad Serajuddin Khan) दर्ज है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है जो मैं स्वयं हूँ। अब मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन खान (Mohammad Serajuddin Khan) के नाम से जाना पहचाना जाऊँगा।

मोहम्मद सिराजुद्दीन खान (Mohammad Serajuddin Khan).

No. 328—I, Jayanti Devi, W/o Late Surendra Mohan, R/o Jawahar Colony Road No.-01, Postal Park, P.O.-G.P.O., P.S.-Kankarbagh, Patna, Bihar-800001 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-545 dt. 27.01.26 that my name is written in my Aadhar card as Jayanti Devi. In my husband PPO written as Jayanti Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be known as Jayanti Devi for all future purposes.

Jayanti Devi.

No. 329—I, MANORAMA KUMARI, W/o - Amar Kumar, R/o - BMP 6 Road, near Mai Asthan, Malighat, Bharat Mata Chowk, Muzaffarpur, Bihar - 842001. Do hereby solemnly affirm and declare that in my son's (Vaibhav) Aadhar card as well as in his birth certificate his name is mentioned as Vaibhav. Now, I want to add the title 'Gupta' to his name. Here, both the names belong to the names of my same son. And, from now in his future he will be known as **VAIBHAV GUPTA** for all legal purposes. Affidavit no. - 939 Date: - 12/02/2026.

MANORAMA KUMARI.

No. 330—I, Dilip Kumar S/o Late Dashrath Sao, R/o H.No.-14, Makhanapur, Idgah Maharajganj, Patna-800007 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-706, dt. 02.02.2026 that Aditya Kumar is my son. His name is written in his birth certificate as Aditya Kumar whereas Written in Aadhar Card as Adity Kumar. Both names are same and one person. From now he will be known as Aditya Kumar for all purposes.

Dilip Kumar.

No. 331—I, Rubi Kumari W/o Pankaj Kumar Singh, R/o Vill-Dharampur, P.O-Bichhiaon, P.S.-Sandesh, Distt.-Bhojpur, Bihar do hereby solmenly affirm and declare as per aff. No.-105, dt. 01.12.2025 that Mahi Singh is my minor daughter her name is written in Aadhar Card as Mahi Pankaj Singh. In school Id her name is written as Mahi Singh. Both names are same and one person. From now she shall be known as Mahi Singh for all purposes.

Rubi Kumari.

No. 332—I, Prashant Shahi, S/o Bhagyanarayan Shahi, R/o Shahbhazpur, Sirsia, Buzurg Kanti Muzaffarpur, Bihar-843108 do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No.-302 dt. 16.01.26 that Shivam Kumar Shahi is my son His name is written in his Aadhar card as Shivam Kumar P. In CBSE class 10th all educational documents written as Shivam Kumar Shahi. Both names are same and one person. From now he will be known as Shivam Kumar Shahi for all purposes.

Prashant Shahi.

No. 333—I, Santosh Kumar Das S/o Rudra Narayan Lal Das, R/o Balour, Manigachi, Darbhanga, Bihar-847422 do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No.-745 dt. 05.02.2026 that Shivom Kumar Karan is my son. His name is written in his Aadhar Card as Shivom Kumar Karn which is wrong. As per his 10th Educational Documents his correct and true name is Shivom Kumar Karan. Both names are same and one person. From now he will be known as Shivom Kumar Karan for all purposes.

Santosh Kumar Das.

सं० 334—मैं, मेघना (Meghna) पिता-अमर नन्दन सहाय, साकिन-फ्लैट नं.-206, स्वावलंबी रेसिडेन्सी दाउद बिगहा, कंकड़बाग रोड, जिला-पटना, बिहार-800026 शपथ पत्र सं.-112 दि. 05.03.26 द्वारा सूचित करती हूं कि 10वीं एवं 12वीं शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम मेघना (Meghna) दर्ज है। आधारकार्ड में मेघना सहाय (Meghna Sahay) अंकित है। मेघना (Meghna) एवं मेघना सहाय (Meghna Sahay) दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है, जो मैं स्वयं हूं। अब भविष्य में सभी कार्य हेतु मेघना सहाय (Meghna Sahay) के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

मेघना (Meghna).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 2—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>